रूफटॉप सोलर की दूसरी पारी

कुमारेश रमेश,
रिसर्च एनालिस्ट, सीइइडब्ल्यू

आरोही पाटिल,
रिसर्च एनालिस्ट, सीइइडब्ल्यू

भारत सरकार ने 2024 के बजट में रूफटॉप सोलर के लिए अपने मजबूत प्रयासों को आगे बढ़ाया है. रूफटॉप सोलर के माध्यम से घरेलू बिजली उपभोक्ता हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे. यह प्रोत्साहन नागरिकों को देश के ऊर्जा परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं में भागीदार बनने में मदद करेगा. रूफटॉप सोलर को अपना कर घरेलू बिजली उपभोक्ता न केवल अपने बिजली बिल को घटा सकते हैं, बल्कि पॉवर ग्रिड को बिजली आपूर्ति कर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं.

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि रूफटॉप सोलर लगाने वाले घरों में सालाना 15-18 हजार रुपये की बचत होगी. काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीइइडब्ल्यू) का अध्ययन बताता है कि घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफटॉप के लिए 637 गीगावाट की क्षमता मौजूद है और जून 2023 तक घरेलू रूफटॉप सोलर की आकलित संचयी स्थापना 2.7 गीगावाट थी. अमेरिका 32 गीगावाट और ऑस्ट्रेलिया 15 गीगावाट के साथ घरेलू रूफटॉप सोलर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हैं. वैश्विक अनुभव बताते हैं कि रूफटॉप सोलर की स्थापना में तेजी लाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है. ये चार कदम भारत में रूफटॉप सोलर की सतत वृद्धि को सक्षम बना सकते हैं.

इन बातों का भी रखा जाना चाहिए ध्यान

पहला, नियमों के माध्यम से रूफटॉप सोलर स्थापित करने को अनिवार्य बनाने का कदम प्रेरक साबित हो सकता है. ऐसा कदम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने उठाया है. भारत में चंडीगढ़ ने 500 वर्ग गज से बड़ी नयी और पुरानी इमारतों में रूफटॉप सोलर लगाना जरूरी बनाया है, जिससे पिछले पांच वर्षों में रूफटॉप सोलर की क्षमता 19 मेगावाट से तीन गुना बढ़कर 57 मेगावाट पहुंच गयी है.

दूसरा, एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न तरह के प्रोत्साहन लाये जा सकते हैं. जहां कम आय वाले घरों के लिए पूंजी सब्सिडी तथा मध्यम और उच्च आय वाले परिवारों के लिए आयकर छूट को बढ़ाया जा सकता है. अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने ऐसे प्रोत्साहन शुरू किये हैं. भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ऋण भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कर राहत का प्रावधान हुआ है.

तीसरा, रूफटॉप सोलर विक्रेता के स्तर पर सिस्टम को लगाने में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना चाहिए. विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रक्रिया एक बार की गयी स्व-घोषणा पर आधारित है. गलत घोषणा करने पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये जुर्माने और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है. इसे विक्रेताओं की ओर से विभिन्न संकेतकों पर अपने प्रदर्शन की नियमित जानकारी देने की प्रक्रिया को शामिल कर मजबूत बनाया जा सकता है.

चौथा, भारत में रूफटॉप सोलर के स्थापित सिस्टम की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री भी बनायी जानी चाहिए. ऐसी रजिस्ट्रियां अमेरिका में बिजली नियामक और ऑस्ट्रेलिया में मार्केट ऑपरेटर के स्वामित्व में मौजूद हैं.

इसे भारत में राष्ट्रीय पोर्टल में शामिल किया जा सकता है. इसमें सिस्टम के आकार, उपभोक्ता की श्रेणी, मासिक उत्पादन, उपभोक्ता के स्तर पर खपत और स्वामित्व के प्रकार जैसी जानकारियां शामिल की जा सकती हैं. यह डिस्कॉम को पॉवर ग्रिड में रूफटॉप सोलर की ऊंची हिस्सेदारी से आने वाले प्रभावों के प्रबंधन में भी मदद कर सकता है. नियमों और प्रोत्साहनों का सही तालमेल भारत के पहले एक करोड़ रूफटॉप सोलर घरों को तैयार करने में मददगार होंगे.